

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-33/2018- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

विभागीय आदेश सं०-177(2) दिनांक-05.02.2025 को संशोधित करते हुए डा० रेखा कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, शिशु रोग विभाग (एन० आई० सी० यू०), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के द्वारा दिनांक-08.02.2025 से 16.06.2025 तक कुल-129 (एक सौ उनतीस) दिन उपभोगिता अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-300(25), दिनांक-03.01.2025 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० रेखा कुमारी को 370 (तीन सौ सत्तर) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(शैलेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापक-2/एल-33/2018- 1465(2) पटना, दिनांक 20/8 / 2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० रेखा कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, शिशु रोग विभाग (एन०आई०सी०यू०), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव